राजस्व वाद संख्या:–173 / 2022
सुमेर सिंह आदि बनाम कमला देवी आदि
निर्णय दिनांक:– 5/1/23

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–173 / 2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 498

1. सुमेर सिंह उम्र 60 साल
2. लखमीचन्द पुत्रान मालाराम उम्र 50 साल
3. कौशल्या पत्नी हजारी लाल
4. कुलदीप पुत्र हजारी लाल
5. मीना पुत्री हजारी लाल
6. सुनीता पुत्री हजारी लाल
7. नीलम पुत्री हजारी लाल
8. बनारसी पत्री मालाराम
9. कमला पुत्री मालाराम
10. संतोष पुत्री मालाराम समस्त जाति जोगी निवासीगण सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

........वादीगण

बनाम

1. कमला पत्नी रतन लाल
2. मुकेश पुत्र रतन लाल
3. परमानन्द पुत्र रतन लाल
4. वेदप्रकाश पुत्र रतन लाल
5. सुनीता पुत्री रतन लाल
6. सरोज पुत्री रतन लाल
7. जयराम पुत्र किशोरी लाल
8. रामप्रसाद पुत्र किशोरी लाल
9. होशियार सिंह पुत्र किशोरी लाल
10. लीलाधर पुत्र लालचन्द समस्त जाति खाती निवासीगण सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
11. आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड शाखा सिंघाना
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

..........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:34 IST
Reason: SelfAttested

वाद घोषणात्मक डिक्री स्थायी

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

-:: निर्णय ::-

दिनांक - 5.1.23

वादी की ओर से वादपत्र निम्न प्रकार पेश है-

1. यह कि वाके ग्राम सागवा तहसील बुहाना स्थित भूमि गत ख0 न0 154 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा को वादीगण के हकपूर्वाधिकारी मालाराम पुत्र तन्नाराम जाति जोगी निवासी सागवा ने प्रति0 स0 1 ल0 10 के हकपूर्वाधिकारी लालचन्द पुत्र राधुराम जाति खाति निवासी सागवा से 10000 रूपये के बदले दिनांक 08.10.1982 का खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया तथा खरीद के समय से ही पहले वादीगण के हकपर्वाधिकारी मालाराम काबिज काश्त रहे तथा उनकी मृत्यु के काबद वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है।
2. यह कि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी मालाराम पुत्र तन्नाराम द्वारा खरीद सुद्वा भूमि का नामान्तकरण मालाराम पुत्र तुन्नाराम अथवा उनके उतराधिकारीगण वादीगण के नाम से दर्ज नहीं हुआ है जिसे दर्ज करवाने के वादीगण अधिकारी है जिसके लिए यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक है।
3. यह कि गत ख0 न0 154 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा से हाल ख0 न0 433 रकबा 0.21है0 ख0 न0 434 रकबा 0.02है0 ख0 न0 435 रकबा 0.17है0 ख0 न0 436 रकबा 0.17है0 बना है जो वर्तमान में विक्रेता लालचन्द के विधिक वारिसान प्रति0 स 1 ल0 10 के नाम से दर्ज चली आ रही है जिसे दुरूस्त करवा कर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के वादीगण अधिकारी है।
4. यह कि दावे के लिए आधार विवाद वादीगण के हकपूर्वाधिकारी मालाराम द्वारा प्रति0 स0 1 ल0 10 के हकपूर्वाधिकारी लालचन्द से खरीदसुद्वा भूमि का नामान्तकरण दर्ज नहीं होने तथा खरीद सुद्वा भूमि का राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान में प्रति0 स0 1 ल0 10 के नाम से दर्ज करने से पैदा हुआ। वैसे कानून में वाद घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती में कोई मियाद निर्धारित नहीं है अतः दावा अन्दर मियाद पेश है।
5. यह कि ग्राम सागवा तहसील बुहाना न्यायालय के सीमाधिकार में स्थित है इसलिए इस वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है।
6. यह कि दावा निर्धारित न्यायालय शुल्क पर पेश है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि:-

(क) ग्राम सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि हाल ख0 न0 433 रकबा 0.21है0 ख0 न0 434 रकबा 0.02है0 ख0 न0 435 रकबा 0.17है0 ख0 न0 436 रकबा 0.17है0 प्रति0 स0 1 ल0 10 का नाम हजफ कर वादीगण स0 1,2,8,9,10 प्रत्येक को 1/[illegible] हिस्सा तथा वादी स0 3 ल0 7 प्रत्येक को 1/30, 1/30 हिस्सा [illegible] घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलबी जारी की गई। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

संख्या 1 लगायत 10 की ओर से इकबापलिये जबाव पेश किया गया ।

वादी की ओर साक्ष्यवादी में शपथ पत्र पी डब्ल्यू –1 पेश किया गया। साक्ष्य में दस्तावेजात प्रदर्श– 1 असल विक्रय पत्र दिनांक 06–07–1982 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श–1ए है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 2, नकल जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता सं. 44, प्रदर्श –3 पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय मुताबिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

– :: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम ग्राम सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 433 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.17 है0 प्रतिवादी स0 1 लगायत 10 का नाम हजफ कर वादीगण संख्या 1, 2, 8, 9, 10 प्रत्येक को 1/6, 1/6 हिस्सा तथा वादी संख्या 3 लगयात 7 प्रत्येक को 1/30, 1/30 हिस्सा का खातेदार धोषित किया जाता है। तहसींलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे या रहनमुक्त होने पर कार्यवाही करें। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 5/1/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:34 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–173 / 2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 00498

सुमेरसिंह आदि **बनाम** कमला आदि
वाद घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती

वादीगण की ओर से श्री **राजेन्द्र यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 5.1.1.23 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि :–

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम ग्राम सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 433 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.17 है0 प्रतिवादी स0 1 लगायत 10 का नाम हजफ कर वादीगण संख्या 1, 2, 8, 9, 10 प्रत्येक को 1 / 6, 1 / 6 हिस्सा तथा वादी संख्या 3 लगयात 7 प्रत्येक को 1 / 30, 1 / 30 हिस्सा का खातेदार धोषित किया जाता है। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे या रहनमुक्त होने पर कार्यवाही करें। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख 5.1.1.23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:34 IST
Reason: SelfAttested